संख्याः /XVIII(II)/18(29)/2020

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः।। अगस्त, 2020

विषयः–जनपद रूद्रप्रयाग में EVM & VVPATs के सुरक्षित एवं समुचित भण्डारण Warehouse भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1263/25–25(1), दिनांक 20.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से EVM & VVPATs के सुरक्षित एवं समुचित भण्डारण हेतु गोदाम (Warehouse) निर्माण के लिये ग्राम नाकोट, तह0 व जनपद रूद्रप्रयाग के खतौनी खाता संख्या–51 के खसरा नं0–1492 रकबा 6.627 है0 मध्ये 0.105 है0 भूमि, जो कि ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 10(2) स्थल/सड़क/रेलवे/भवन, भूमियां जो अकृषिक उपयोग में लायी जाती हों, के रूप में दर्ज अभिलेख है, को चयनित कर EVM & VVPATs के सुरक्षित एवं समुचित भण्डारण के लिए गोदाम निर्माण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम नाकोट, तह0 व जनपद रूद्रप्रयाग के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–51 के खसरा नं0–1492 रकबा 6.627 है0 मध्ये **0.105 है0** भूमि जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग के नाम वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002, दिनांक–15.02.2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7) 50(39)/2015/2014, दिनांक–09.07.2015 तथा शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/2015–18(169)/2015, दिनांक 30.07.2015 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तांतरण करने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(9) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011, श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया, इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्याः 518 (1)/XVIII(II)/18(29)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।